अर्जुन सिंह राठौड़ और अन्य

विरुद्ध

बी.एन. चतुर्वेदी और अन्य

12 अक्टूबर 2007

[न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा एवं न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बेदी, जेजे.]

सेवा विधि-भर्ती प्रक्रिया संशोधित नियमों के प्रवर्तन में आने से पूर्व, पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां-निर्धारित - जब पदों के रिक्त होने पर नियमों के प्रवर्तन में आने पर भरी जानी चाहिए-मूल नियम 1988 द्वारा शासित होगा न कि संशोधित नियम 1998 द्वारा-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति) नियम, 1988- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति) नियम, 1998

जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति) नियम, 1988 प्रवर्तन में था तब बैंक में निश्चित वर्गों के लिए 15 पद उपलब्ध थे, जबकि रिक्तयां विद्यमान थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति) नियम, 1988 के स्थान पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति) नियम, 1998 को लागू किया गया। इस न्यायालय के निर्णय राजस्थान राज्य बनाम आर.दयाल व अन्य के अनुसार प्रत्यर्थी बैंक को निर्देशित किया गया था कि नियम, 1998 के प्रकाशन से पूर्व जो पद रिक्त थे, वे पद पुराने पदोन्नति नियमों से शासित होंगे न कि संशोधित नियमों द्वारा। अपीलार्थीगणों को नियम, 1988 के अनुसार स्केल द्वितीय में पदोन्नति दी गयी थी। प्रत्यर्थी 01 से 05 ने याचिका दायर कर ये निर्देश चाहा कि स्केल द्वितीय अधिकारियों

के पद पर पदोन्नति नियम, 1998 के अनुसार पदोन्नत की जावें। उच्च न्यायालय के एकलपीठ द्वारा याचिका खारिज की। यद्यपि डिविजन बैंच याचिका अनुमत की, इसलिए ये वर्तमान अपील प्रस्तुत हुयी।

न्यायालय अपील अनुमत कर रही है।

निर्धारित-1.1 जब जिस तिथि को रिक्ति हुयी उस तिथि को प्रवर्तित नियमों के अनुसार पदोन्नति की जाने थी। इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति) नियम, 1998 के प्रवर्तन से पूर्व जो रिक्तियां हुयी उनको नियम, 1988 के अनुसार भरा गया और प्रक्रिया निर्धारित की गयी। इसलिए उच्च न्यायालय की एकलपीठ का निर्णय पुनःस्थापित किया जाता है। (पैरा संख्या 06 और 07, 324-ए, डी-ई)

राजस्थान राज्य बनाम आर.दयाल व अन्य को आधार बनाया गया। 1.2- डिविजन बैंच के आदेश के अनुसरण में 1988 के नियमों के तहत पदोन्नति की कार्यवाही की गयी और लिखित परीक्षा में शामिल हुये सभी 15 अपीलार्थीयों को सफल घोषित किया गया। अपीलार्थी संख्या 03 के संबंध में निर्णय सीलबंद लिफाफे में रखा गया, क्योंकि उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक जांच लंबित चल रही है। अपीलार्थी संख्या 03 ने यह अभिवचन लिया था कि दिनांक 16.06.2005 की शिकायत के आधार पर दिनांक 09.11.2005 में आरोप पत्र दायर किया गया था जो कि नियम, 1988 के तहत की गयी पदोन्नति जो कि सितम्बर, 2000 में हुयी थी, दीर्घसमय पश्चात किया गया था।इसलिए उसको किसी निर्णय का लाभ दिया जाना चाहिए यद्यपि उसके खिलाफ कार्यवाही के नतीजे के अधीन है, उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। (पैरा संख्या 08, एफ एच 325-ए,)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4840/2007।

उच्च के अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.8.2005 से राजस्थान के लिए न्यायिक न्यायालय, जोधपुर में डी.बी. सिविल विशेष अपील (डब्ल्यू.) 2002 की संख्या 818।

अपीलकर्ताओं के लिए एम.आर. कैला, रंजीता रोहतगी (पी.एच. पारेख एंड कंपनी के लिए)।

प्रमोद बी अग्रवाल, प्रवीणा गौतम और रमन मिश्रा प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति हरजीत सिंह बेदी द्वारा सुनाया गया ।

1. अनुमति दी गयी।

2. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपाश्त कर, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 18 अगस्त 2005 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिससे उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया जाये और आगे निर्देश दिया जाये कि स्केल- II अधिकारियों के पद पर पदोन्नति 1998 के नियमों के अनुसार की जाए। अपील दायर करने के तथ्य इस प्रकार हैं:

3. 28 सितंबर 1988 को आर्थिक मामलों का विभाग (बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, के बाद राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ परामर्श और धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति) नियम, 1988 (इसके बाद इसे "1988 के नियम" कहा जाएगा) को अधिसूचित किया जो 28 सितंबर 1988 से लागू हुआ। इन नियमों की दूसरी अनुसूची में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों की नियुक्ति के तरीके का प्रावधान किया गया है। यहां अपीलकर्ता श्रेणी संख्या 6 में आते हैं जबकि श्रेणी संख्या 7 श्रेणी संख्या 6 के अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा क्षेत्र प्रबंधकों या वरिष्ठ प्रबंधकों की नियुक्ति से संबंधित

है और अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि सभी रिक्तियां पदोन्नति द्वारा भरी जानी थीं। बैंक में काम करने वाले योग्य और योग्य व्यक्ति और चयन का तरीका साक्षात्कार और पिछले तीन वर्षों की अवधि के प्रदर्शन रिपोर्ट का मूल्यांकन होगा। प्रतिवादी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निदेशक मंडल 26 सितंबर 1988 को आयोजित एक बैठक में नियमों को अपनाया गया। अपीलकर्ताओं का मामला है कि पहली अप्रैल 1999 तक, श्रेणी संख्या 7 के तहत पदोन्नति के लिए कुल 15 पद उपलब्ध हो गए थें क्योंकि वास्तव में, कई वर्षों से कोई नियुक्ति नहीं की गई थी। जबकि रिक्तियां अभी भी मौजूद हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति एवं अन्य कर्मचारी) नियम 1998, (जो कि आगे इसे "1998 के नियम" से संबोधित किया जाएगा) 29 जुलाई 1998 को आधिकारिक राजपत्र में तैयार और प्रकाशित किया गया। क्षेत्रीय बैंक के निदेशक मंडल ने इन नियमों को अपनाया और 15 मई 1999 को एक परिपत्र जारी किया जिसमें यह जानकारी दी गई कि 1988 के नियमों को हटा दिया गया है और अब से 1998 के नियम लागू होंगे। अकेले पदोन्नति आदि के लिए आधार बनेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत प्रायोजक बैंक था, ने इसके बाद संबंधित क्षेत्रों से पूछताछ की और 15 अक्टूबर 1999 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक पत्र लिखा। राजस्थान राज्य बनाम आर.दयाल और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, "कोई भी पद जो नियमों में संशोधन से पहले खाली हो गया था, वह मूल नियमों द्वारा शासित होगा, न कि संशोधित नियमों द्वारा। "और मामले को और अधिक स्पष्ट करने के लिए निर्देश को दोहराते हुए कहा कि "संशोधित नियमों यानी नियम 1998 के प्रकाशन से पहले जो पद रिक्त थे, वे पुराने पदोन्नति नियमों द्वारा शासित होंगे, न कि संशोधित नियमों द्वारा।" 15 अक्टूबर 1999 के पत्र की एक प्रति अपील के लिए पी-1 अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है|

4. इसके बाद प्रत्यर्थी, क्षेत्रीय-बैंक ने एक परिपत्र दिनांक 13 जून 2000 को प्रसारित कर निर्देश दिया कि सभी रिक्तियां जो 31 मार्च 1998 को उपलब्ध थी, 1988 के नियमों से भरी जायेगी। इसके बाद दिनांक 18 सितंबर 2000 को 15 व्यक्तियों का, जो कि यहां पर अपीलार्थीगण हैं, साक्षात्कार लिया गया और उनको पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया और उक्त सूचि मंडल के निदेशकों द्वारा अनुमोदित की गयी थी और सभी 15 अपीलार्थीगणों को आदेश दिनांक 18 सितंबर 2000 के तहत स्केल-द्वितीय में पदोन्नत किया गया। यद्यपि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 ने एक संयुक्त रिट याचिका संख्या 3641/2000 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जो कि दिनांक 25 सितंबर 2000 को निर्णय संलग्नक पी-2 द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज की गयी जिसके पश्चात खंडपीठ में अपील प्रस्तुत की गयी जिसने कि एकल न्यायाधीश के आदेश को पलट दिया इस प्रकार याचिका स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि क्रमशः 13 जून 2000 और 18 सितंबर 2000 के पदोन्नति और परिपत्रों को निरस्त करते हुए क्षेत्रीय बैंक को आगे निर्देशित किया कि स्केल-द्वितीय अधिकारियों की पदोन्नति 1998 के नियमों के अनुसार की जाए। इसी परिस्थिति में वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।

5. सूचना जारी की गयी थी और सभी प्रत्यर्थीगण को सूचित किया गया था। यद्यपि केवल प्रत्यर्थी संख्या 6 और 7 ही उपस्थित हुए हैं प्रत्यर्थी-बैंक के अध्यक्ष द्वारा उत्तर दाखिल किया गया है। हमने तद्नुसार हमारे समक्ष उपस्थित हुए विद्वान वकील को सुना।

6. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कल्ला ने तर्क दिया है कि यह प्रकरण इस न्यायालय के निर्णय, *राजस्थान बनाम आर.दयाल, [1997] 10 एससीसी 419*, से पूर्णतः कवर होता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि पदोन्नति से भरी

जाने वाली रिक्तियों को, उस तारीख को लागू नियमों के तहत भरा जाना था, जिस तारीख को रिक्तियां हुयी थी। पूर्व के एक निर्णय, *वाई. वी. रंगैया बनाम जे श्रीनिवास राव,* [1983] 3 एससीसी 284 पर विश्वास किया गया जिसमें की निम्नानुसार राय दी गयी थीः

> "इस न्यायालय ने विशेष रूप से यह निर्धारित किया है कि नियमों में संशोधन में पहले होने वाली रिक्तियां पहले, मूल नियमों द्वारा शासित होगी, न कि संशोधित नियमों द्वारा। तदनुसार। इस न्यायालय ने माना था कि जो पद नियमों में संशोधन से पहले रिक्त थे, वे पद मूल नियमों द्वारा शासित होंगे न कि संशोधित नियमों द्वारा। एक आवश्यक परिणाम के रूप में, नियमों में संशोधन के पश्चात उत्पन्न होने वाली रिक्तियाँ को, उस तिथि तक प्रवर्तित विधि के अनुसार भरा जाना आवश्यक है, जब रिक्तयां निकली।"

7. उपरोक्त विधि की स्थिति पर प्रत्यर्थी संख्या 6 और 7 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा गंभीर रूप से कोई विवाद नहीं किया गया है, इसलिए हमारी राय में रिक्तियां जो कि 1998 के नियमों के प्रवर्तन से पूर्व हो चूकी थी, वे रिक्तियां 1988 के नियमों के अधीन भरी जानी चाहिए थी और इसके अनुसार प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए थी। इसलिए हमारी राय में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को पुनःस्थापित किया जाना आवश्यक है। हम तदनुसार आदेश करते हैं।

8. इस प्रकरण में अन्य पहलू पर भी विचार करने की आवश्यकता है। सुनवाई करते समय हमारे ध्यान में आया है कि खंडपीठ द्वारा 1998 के नियमों के अधीन पदोन्नति के लिए दिये गये आदेश के अनुसरण में और सभी 15 मूल प्रत्यर्थीगण (वर्तमान अपीलार्थीगण) लिखित परीक्षा में उपस्थित होकर सफल घोषित किये गये थे,

परन्तु 14 का परिणाम दिनांक 22 नवम्बर 2005 को घोषित कर दिया गया था, जबकि उनमें से एक राम नारायण मीना जो कि हमारे सामने अपीलकर्ता संख्या 3 है, का परिणाम सील बंद लिफाफे में रखा गया, क्योंकि उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक जांच लंबित चल रही थी। ऐसी परिस्थितियों में ये बात उल्लेखित की जाती है कि उक्त रामनारायण मीणा दिनांक 09.11.2005 के आरोप पत्र के अधीन आरोपित था जो कि दिनांक 16 जून 2005 की शिकायत पर आधारित था, जो कि 1988 के नियमों के अधीन दी गयी पदोन्नतियों के दीर्घसमय पश्चात का है और ऐसी परिस्थिति में जहां तक पदोन्नति की बात है उसको इस निर्णय का लाभ मिलना चाहिए यद्यपि ये लाभ उसके विरूद्ध लंबित कार्यवाही के अधीन रहेगा। हमें उक्त बात का महत्व महसूस होता है। इस बात पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है कि रामनारायण मीना के विरूद्ध शिकायत से बहुत पहले अथार्त सितम्बर 2000 में पदोन्नति की गयी थी। इसलिए हमारी राय है कि उसे भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम के अधीन, इस निर्णय का लाभ दिया जाना चाहिए। हम तदनुसार उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति देते हैं। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील अनुमत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रेम चन्द शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।